यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - तृतीय राज्य कर, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - तृतीय राज्य कर, काशीपुर के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्रीमती रेखा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.10.2018 से 14.11.2018 तक श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री दीपक मालवीय सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.11.2015 से 04.12.2015 तक श्री के.एन. साहू, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2011 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः हरिद्वार रोड़ पर कुण्डा चौराहा से भाग जसपुर, गढ़ी नेगी, भूतपुरी रोड़, जसपुर नादेही, धर्मपुर एवं कुण्डा गढ़ी नेगी मार्ग का बाया हिस्सा एवं ढेला पार, कैलजुडी**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
2015-16	531.74
2016-17	623.24
2017-18	266.86 (जून तक)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - तृतीय राज्य कर, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2016, 10/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - ..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 1 आई टी सी रिवर्स न किये जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹12.00 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनरासि होगी, जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तों के आधीन रहते हुए जासा कि स धारा में विर्निदष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये। इस अधिनियम की धारा 58(1)(XI) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार ₹ या दावा कृत धनराशि की तीन गुणा धनराशि, जो भी अधिक हो, देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-03, राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री सुमित सेल्स, जसपुर टिन संख्या 05006714365 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में कुल क्रय ₹1,29,58,008 की घोषित किया गया। संगत वर्ष में कुल बिक्री ₹ 1,24,97,219 की घोषित की गयी। प्रांतीय खरीद ₹ 1,16,92,347 पर ₹ 15,20,217 की आई टी सी का दावा किया गया। व्यापारी के ट्रेडिंग खाते की जांच में पाया गया ₹ 22,22,392 का ट्रेड डिस्काउंट आय के रूप में दर्शाया गया। व्यापारी द्वारा ट्रेड डिस्काउंट की धनराशि ₹ 22,22,392 पर आई टी सी का दावा किया गया था। जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं था। अत: आई टी सी ₹3,00,023 (₹22,22,392 x 13.5 प्रतिशत) रिवर्स योग्य है एवं 9,00,069 (3,00,023 x 3 गुना) अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: आई टी सी रिवर्स न किये जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 12.00 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–2'ब'

प्रस्तर.02:– प्रपत्र सी पर अनियमित छूट दिये जाने के परिणामस्वरुप राजस्व क्षति ₹6.37 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खण्ड–3, काशीपुर की लेखापरीक्षा माह 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि सर्वश्री वकील अहमद टिम्बर मर्चेन्ट टिन 05002285248 विभाग में टिम्बर उत्पाद पैकिंग गुडस के व्यापार के लिये पंजीकृत है। करनिर्धारण वर्ष 2012–13 की पत्रावली के अनुसार व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत रु.64,89,385.00 की बिक्री पर प्रपत्र सी से किये जाने पर दो प्रतिशत की दर से रु.1,29,787.70 कर निर्धारित किया गया था। आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली पर संलग्न तीन प्रपत्र सी की मात्र छायाप्रति ही संलग्न थी, मूल प्रपत्र सी नही।

प्रपत्र सी की सं0	केता व्यौहारी का नाम/राज्य	अन्तर्गस्त धनराशि रु0 में
MH-12/A 573174	भूषन स्टील टिन 27040257267 C	704855.00
MH-12/A 574007	भूषन स्टील टिन 27040257267 C	1755397.00
MH-13/A 081241	भूषन स्टील टिन 27040257267 C	1052872.00
	योग	**3513124.00**

अत;मूल प्रपत्र सी के अभाव में दी गयी कर छूट अनियमित थी इस पर अन्तरीय दर 11.5(13.5–2) प्रतिशत से ₹ 4,04,009.00 (3513124 x8.5) कर अनारोपित रह गया।

2. सर्वश्री शाह मौहम्मद टिम्बर प्रोडक्ट व्यौपारी टिन 05002430845 कर निर्धारण वर्ष 2012–13 में ₹31,87,418.00 पर प्रपत्र सी पर की गयी केन्द्रीय बिक्री पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 63,748.00 कर निर्धारित किया गया था। पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र सी पर बिक्रेता व्यौहारी को निर्गत किये जाने के साक्ष्य नही पाये गये। संलग्न प्रपत्र सी किस विक्रेता व्यौहारी को दिया गया, वस्तु का नाम, कैश`ममो सं0 दिनॉक अन्तर्ग्रस्त धनराशि, आदि कालम रिक्त पाये गये। इस प्रकार यह निर्धारण किया जाना संभव नही है कि उक्त प्रपत्र सी सम्बन्धित व्यौहारी को ही दिये गये ।

प्रपत्र सी की सं0	क्रेता व्यौहारी का नाम/राज्य	अन्तर्गस्त धनराशि रु0 में
16 P680026	अनिल ट्रेडिंग कं0 दिल्ली	₹10,06,492.00
16 P685023	गोपाल सेल्स कार्पो0	₹10,20,201.00
	योग	**₹20,26,693.00**

अतएव अनियमित प्रपत्र सी पर बिक्री दिखायी गयी धनराशि पर अन्तरीय दर 11.5 से ₹2,33,070.00(2016693 x 11.5%) कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि **व्यापारी सर्वश्री वकील अहमद का कर निर्धारण आदेश मूल प्रपत्र - सी की प्रतियों के आधार पर ही पारित किया गया है। संभवत कार्यालय शिफ्टिगं के दौरान मूल फार्म-C अभिलेख से बाहर हो गये है। जिन्हे शीघ्र तलाश कर पत्रावलित कर दिया जायेगा। विभाग द्वारा व्यापारी सर्वश्री शाह मोहम्मद के सम्बन्ध में बताया गया कि लेखापुस्तकों की जाँच पर प्रश्नगत प्रपत्र सन्दर्भित व्यापारी को जारी किये जाने पाये गये। तथापि फार्म-C सत्यापन हेतु सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित कर दिये जायेंगे।**

अत: प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर-3 कर का न्यूनारोपण ` 3.19 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 822/XXVII(5)/व्यापार कर/2004 दिनांक 03.07.2014 एवं अधिसूचना 06/XXVII(8)/वाणिज्य कर (CST)/2006 दिनांक 21.01.2006 के अनुसार, औद्योगिक निर्माता द्वारा 25 करोड़ से कम प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग किया गया है, के द्वारा केन्द्रीय बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से कर देय होगा । किन्तु शर्त (f) के अनुसार माल लकड़ी या लकड़ी के उत्पाद पर लागू नहीं होगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि **<u>संलग्नक-'1'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा लकड़ी के उत्पाद (पैकिंग मैटेरियल) पर केन्द्रीय बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से ` 3,23,404 कर भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया है । जबकि उक्त की बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से ` 6,42,809 कर देय होगा । अतः अन्तरीय दर 1% (2% - 1%) की दर से ` 3,19,405 कर आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया । साथ ही इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः कर का न्यूनारोपण ` 3,19,405 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक-'1'

क्रम सं0	व्यापारी का नाम, टिन सं0	कर निर्धारण वर्ष	केन्द्रीय बिक्री की धनराशि (`)	कर जो स्वीकार किया गया है। (1%की दर से)	कर जो देय है (12% की दर से)	अन्तरीय कर (`)
1.	सर्वश्री सिद्दीकी इंटरप्राईजेज, जसपुर । टिन नं0 05002444328	2014-15	43,23,341	43,233	86,466	43,233
		2015-16	48,81,979	48,819	97,639	48,820
		2016-17	92,68,288	92,683	1,85,366	92,683
2.	सर्वश्री शमा टिम्बर ट्रेडर्स, जसपुर । टिन नं0 05002432494	2013-14	32,32,400	34,324	64,648	30,324
		2014-15	19,56,639	19,566	39,133	19,567
		2016-17	84,77,865	84,779	1,69,557	84,778
			योग	**3,23,404**	**6,42,809**	**3,19,405**

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-4 नियमविरूद्ध कर छूट दिये जाने के परिणामस्वरूप कर का न्यूनारोपण ₹3.21 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची दो ख के क्रमांक 59 के अनुसार मात्र औद्योगिक केबल पर ही 5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया है। अन्य केबल पर कर की दर का उल्लेख उक्त अधिनियम की किसी भी अनुसूची में नही किया गया है। अधिनियम के अनुसार जो वस्तु किसी भी अनुसूची में नही आती है उस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इलैक्ट्रिक गुडस उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची में **शामिल** न होने के कारण इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड–3 काशीपुर के माह 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि सर्वश्री गर्ग इलैक्ट्रिक स्टोर टिन 05002315124 विभाग में इलैक्ट्रिक गुडस के व्यापार के लिये पंजीकृत है। करनिर्धारण वर्ष 2012–13 की पत्रावली के अनुसार ₹1,00,95,259.00 की बिक्री पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत ₹15,55,826.00 कर निर्धारित किया गया था। इसमें से इलैक्ट्रिक केबिल की ₹1,64,613.00पर 4.5% की दर से ₹7,407.59 एवं ₹10,06,131.00 की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से ₹50,306.55 कर निर्धारित किया गया था। किन्तु आद्यौगिक केबल के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के केबल पर अधिनियम के अनुसार 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। **अत:** उक्त केबल की बिक्री पर क्रमश; 9प्रतिशत एवं 8.5 प्रतिशत की **अन्तरीय** दर से ₹14815.00(164613 x 9%) एवं ₹85,521.00(1006131x8.5%) अर्थात ₹1,00,336.00 (14815+85521) कर अनारोपित रह गया।

2. व्यौहारी सर्वश्री चौहान इण्टरप्राइजेज **टिन** 05014858097इलैक्ट्रिक गुडस के क्रय विक्रय के लिये पंजीकृत है। कर निर्धारण वर्ष 2015–16 स्वत; कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत कर निर्धारण को मान्यता प्रदान की गयी। पत्रावली के अनुसार ₹4,5,81,500.00 की इलैक्ट्रिक गुंडस की बिक्री पर ₹3,97,714.00 कर निर्धारित किया गया। **जबकि** उक्त बिक्रीत इलैक्ट्रिक गुडस पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹6,18,502.00(4581500X13.5%) कर आरोपणीय था, जबकि व्यौहारी पर मात्र ₹3,97,714.00 कर देय माना गया। इसके कारण ₹2,20,788.00(618502–397714) कर न्यूनारोपित रह गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा **द्वारा** इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने की टिप्पणी की गयी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर- 5 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.04 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **संलग्नक-'क'** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 1,04,369 (अर्थात् ` 1.04 लाख) अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.04 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "क"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`)
1.	सर्वश्री ताज इण्टरप्राईजेज, जसपुर । (टिन नं0 05002455677)	2013-14	04/2013	15,488 (CST) 1,625 (VAT) 17,113 (Total)	25.05.2013	27.05.2013	2 दिन	1,711
			05/2013	15,202	25.06.2013	29.06.2013	4 दिन	1,520
			08/2013	16,610	25.09.2013	28.09.2013	3 दिन	1,661
			11/2013	28,366	25.12.2013	30.12.2013	5 दिन	2,837
							Sub Total (i)	**7,729**
2.	सर्वश्री ताज इण्टरप्राईजेज, जसपुर । (टिन नं0 05002455677)	2015-16	04/2015	8,697 (CST) 48,877 (VAT) 57,574 (Total)	20.05.2015	08.07.2015	1 माह 19 दिन	5,757
			05/2015	16,675 (CST) 20,663 (VAT) 37,338 (Total)	20.05.2015	24.07.2015	2 माह 4 दिन	3,734
							Sub Total (ii)	**9,491**
3.	सर्वश्री बंसल रोप स्टोर,	2016-17	10/2016	48,500	20.11.2016	01.12.2016	6 दिन	4,850

	जसपुर । (टिन नं0 05002287770)		03/2017	1,20,000	20.04.2017	04.05.2017	15 दिन	12,000
							Sub Total (iii)	**16,850**
4.	सर्वश्री मोहसिन इण्टरप्राईजेज, जसपुर । (टिन नं0 05010335666)	2016-17	04/2016	16,771 (CST)	20.05.2016	25.05.2016	5 दिन	1,677
			05/2016	78,012	20.06.2016	27.06.2016	7 दिन	7,801
			06/2016	42,588	20.07.2016	26.07.2016	6 दिन	4,259
			07/2016	20,452	20.08.2016	26.08.2016	6 दिन	2,045
			08/2016	21,266	20.09.2016	26.09.2016	6 दिन	2,127
			09/2016	60,410	20.10.2016	25.10.2016	5 दिन	6,041
			10/2016	59,005	20.11.2016	15.12.2016	25 दिन	5,900
			11/2016	30,607	20.12.2016	08.01.2017	19 दिन	3,061
			12/2016	14,445	20.01.2017	31.01.2017	11 दिन	1,444
							Sub Total (iv)	34,355
5.	सर्वश्री गर्ग इलैक्ट्रिक स्टोर, जसपुर । (टिन नं0 05002315124)	2012-13	04/2012	2,20,859	20.05.2012	23.07.2012	1 माह	22,086
			10/2012	1,38,576	20.11.2012	22.01.2013	1 माह	13,858
							Sub Total (v)	**35,944**
							TOTAL (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v)	**1,04,369**

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-6 ब्याज का कम जमा/गैर जमा ` 0.31 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 1.25 प्रतिशत मासिक अर्थात् 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

आगे, धारा 41(4) के अनुसार, आरोपित किये गये कर पर 9% वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि **संलग्नक-'क'** एवं **संलग्नक-'ख'** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा ` 11,708 ब्याज का कम जमा एवं ` 22,031 ब्याज का न जमा किया जाना पाया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा प्रथम प्रकरण में बताया गया कि व्यापारी द्वारा ब्याज के रूप में ` 9,015 की धनराशि जमा की गई है जबकि ब्याज ` 4,625 बनता है । दूसरे प्रकण में बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि "गणना प्रपत्र" के अनुसार, ₹11708 ब्याज कम आगणित किया गया है ।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

Short Deposit of Interest

Sl. No.	Name of Dealer	Assessment Year	Tax Amount (`)	Period	Interest Due (`)	Interest Deposited (`)	Difference (`)
1.	सर्वश्री आकाश फूड्स, मेधावाला, जसपुर । (टिन नं0 05015410997)	2015-16	Admitted Tax 83,809 (CST)	13 Months & 23 days (01.10.2015 to 23.11.2016 ***i.e. date of deposit***)	14411 Interest @ 15%	9,015	11708
			Imposed Tax 61,176 (VAT)	13 Months & 23 days (01.10.2015 to 23.11.2016 ***i.e. date of deposit***)	6312 Interest @ 9%		
			1,44,985 **Total**		20723	9,015	11708

गणना-प्रपत्रः-

व्यापारी का नामः- सर्वश्री आकाश फूड्स, जसपुर ।
टिन नं0 05015410997
कर निर्धारण वर्षः 2015-16

स्वीकृत कर अवधिः
01/10/2015 से 23/11/2016
विलम्बः 13 महीने, 23 दिन
ब्याज की गणनाः-
(1) ` 83,809 x 15/100 x 13/12 = ` 13,619
(2) ` 83,809 x 15/100 x 23/365 = ` 792

कुल ब्याज ` 14411

आरोपित कर अवधिः
01/10/2015 से 23/11/2016
विलम्बः 13 महीने, 23 दिन
ब्याज की गणनाः-
(1) ` 61,176 x 9/100 x 13/12 = ` 5965
(2) ` 61,176 x 9/100 x 23/365 = ` 347

कुल ब्याज ` 6315

संलग्नक – “ख” No

n Deposit of Interest

Sl. No.	Name of Dealer	Assessment Year	Amount of Tax (`)	Period	Date of Deposit of Tax	Interest Due (`)
1.	मेसर्स के.जी.एन. टिम्बर, जसपुर (टिन नं0 05010625890)	2012-13	51,000 (VAT)	02 Years, 10 Months & 17 days (01.10.12 to 17.08.15)	17.08.2015	22031

<u>गणना-प्रपत्रः-</u>

व्यापारी का नामः- सर्वश्री के0जी0एन0 टिम्बर, जसपुर ।
टिन नं0 05010625890
कर निर्धारण वर्षः 2012-13
कर अवधिः
01/10/2012 से 17/08/2015
विलम्बः 2 वर्ष, 10 महीने, 17 दिन

ब्याज की गणनाः-

(1) ` 51,000 x 15/100 x 2 = ` 15,300
(2) ` 51,000 x 15/100 x 10/12 = ` 6,375
(3) ` 51,000 x 15/100 x 17/360 = ` 356

कुल ब्याज ` 22,031

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर.-7 :–कर का न्यूनारोपण ₹ 24,196.00

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड–3 काशीपुर की लेखापरीक्षा माह 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री डीलक्स इलैक्ट्रोनिक्स टिन 05002304454 कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के वाद में कर निर्धारण आदेश के अनुसार निम्नानुसार अन्तर/छिपी बिक्री पायी गयी।

आरम्भिक अवशेष ₹32,74,679.00

क्रय ₹102,75,675.00

योग ₹13550354

अन्तिम शेष (–) ₹30,04,907.00

वास्तविक बिक्री ₹10545447

करनिर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री ₹1,03,66,236.00

अन्तर/छिपी बिक्री ₹179211

अत; इस अन्तर/छिपी बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹24193 कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त न्यूनारोपित कर के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
सी.टी-05/2011-12	01(1)	-	-
सी.टी-32/2015-16	-	01,02,03(3)	1(1)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - तृतीय राज्य कर, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्रीमती हेमलता शुक्ला	सहायक आयुक्त	01.04.15 से 25.09.15 तक
2	श्रीमती कविता पाठक	सहायक आयुक्त	26.09.15 से 26.08.16 तक
3	श्री के0के0 पाण्डेय	सहायक आयुक्त	26.08.16 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - तृतीय राज्य कर, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र